सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

8 कार्तिक, 1941 (श०)

संख्या- 860 राँची, बुधवार, 30 अक्टूबर, 2019 (ई०)

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

23 अक्टूबर, 2019

संख्या-एल0जी0-25/2018-**290**/लेज0 झारखंड विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर माननीय राष्ट्रपति दिनांक-25/09/2019 को अनुमति दे चुकें है, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है ।

<u>झारखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2018</u>

(झारखण्ड अधिनियम- 15, 2019)

झारखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम 2011 में संशोधन हेतु अधिनियम भारत गणराज्य के 69वें वर्ष में झारखण्ड राज्य विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो,

अध्याय -1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ-

   (i) यह अधिनियम झारखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम 2018 कहा जा सकेगा।

   (ii) यह तुरंत प्रभावी होगा।

अध्याय-2

झारखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम 2011 का संशोधन-

2. झारखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा-19 की उपधारा (I) के खण्ड (ii) का संशोधन-

   धारा-19 की उपधारा (I) के खण्ड (ii) के वर्त्तमान प्रावधान -

   "विहित रीति से विश्वविद्यालय के पदों का सृजन और शिक्षक एवं अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति करना"।

निम्नलिखित प्रावधान से प्रतिस्थापित हो -

" विहित रीति से विश्वविद्यालय के पदों का सृजन और विश्वविद्यालय के शिक्षक, विश्वविद्यालय के पदाधिकारी, विश्वविद्यालय के गैर शैक्षणिक पद एवं विश्वविद्यालय के अन्य शैक्षणिक पदों पर झारखण्ड लोक सेवा आयोग से प्राप्त अनुशंसा तथा विश्वविद्यालय के शिक्षकेत्तर कर्मियों का झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में नियुक्ति करना"।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

(प्रदीप कुमार श्रीवास्तव)
प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी
विधि विभाग, झारखंड, राँची।

विधि (विधान) विभाग

23 अक्टूबर, 2019

संख्या-एल॰जी॰-25/2018-291/लेज॰ झारखंड विधान सभा द्वारा यथा पारित और माननीय राष्ट्रपति द्वारा दिनांक-25/09/2019 को अनुमत झारखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2018 का निम्नांकित अंग्रेजी अनुवाद झारखंड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

THE JHARKHAND UNIVERSITY OF TECHNOLOGY (AMENDMENT) ACT, 2018

(Jharkhand Act- 15, 2019)

An Act to amend The Jharkhand University of Technology Act, 2011 be enacted by the Legislature of the State of Jharkhand in the 69th year of the Republic of India as follows.

CHAPTER-1

Preliminary

1. Short title and commencement-

(i) This Act may be called "The Jharkhand University of Technology (Amendment) Act, 2018"

(ii) It shall come into force at once.

CHAPTER-2

Amendment to The Jharkhand University of Technology Act, 2011

2. Amendment of Clause (ii) of sub Section (I) of Section 19 of The Jharkhand University of Technology Act 2011.

The Existing Provision of Clause (ii) of sub Section (I) of Section 19 of The Jharkhand University of Technology Act 2011.

"To create posts and appoint teachers and others employees of the University in the manner prescribed"

Be substituted by the following provision:-

Substitution of Clause (ii) of sub Section (I) of Section 19

"To create posts and appoint teachers of University, Officers of University, Non-Teaching posts of University and other Teaching Posts of University through recommendation of Jharkhand Public Service Commission (JPSC) and Non-Teaching staff of University through recommendation of Jharkhand Staff Selection Commission (JSSC) in the manner prescribed"

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

(प्रदीप कुमार श्रीवास्तव)
प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी
विधि विभाग, झारखंड, राँची।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 860 -- 50